मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा टौंस नदी, 466ख, ग्राम शीशमबाड़ा (6.00है0) तहसील–विकासनगर, जिला देहरादून में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु दिनांक 20.09.2025 (प्रातः 11.00 बजे), स्थान परियोजना स्थल के समीप पंचायत भवन, शीशमबाड़ा में पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा **टौंस नदी, 466ख, ग्राम शीशमबाड़ा (6.00है0)** में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 (यथासंशोधित 2009) के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 (यथासंशोधित 2009) के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में **ग्राम शीशमबाड़ा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून** में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री एस0एस0 चौहान (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) व श्री दीपेन्द्र भट्ट (अनुश्रवण सहायक) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के प्रतिनिधि श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा **टौंस नदी, 466ख, ग्राम शीशमबाड़ा** में लघु खनिजों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व **दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (उत्तराखंड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दिनांक 19.08.2025** के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आक्षेप मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों का परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से लिखित व मौखिक रूप से रख सकते हैं, जिसे संकलित कर पर्यावरण, वन एंवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि जन समुदाय के विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्षा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इसके उपरान्त में मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के पर्यावरणीय परामर्शी संस्था मै0 **जेनिथ इनवाइरमेन्ट् कंसल्टेंसी, के प्रतिनिधि श्री सौरभ बाजपेयी** द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का **कुल क्षेत्रफल 6.00 है0** है, जो कि **ग्राम शीशमबाड़ा, तहसील–विकासनगर, जिला देहरादून** में स्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 को लीज पर दिया गया। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु खनिजों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु खनिजों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि तीन मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना में खनन कार्य पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके किया जायेगा। **श्री सौरभ** द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जायेगा एवं प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **मो0 राशिद, (ग्राम पंचायत सदस्य), शीशमबाड़ा, विकासनगर, देहरादून** द्वारा प्रश्न किया गया कि खसरा संख्या 466ख में ही खनन किया जायेगा या फिर ग्राम समाज की भूमि पर भी किया जायेगा। मो0 राशिद द्वारा यह भी कहा गया कि पूर्व में नेशनल हाईवे के निर्माण के समय निर्माणकर्ता फर्म द्वारा खनन किया गया था, जिससे नदी की गहराई 06 मीटर से अधिक हो गयी है, वर्तमान में नदी बहुत गंहरी हो गयी है, यदि खनन होता है तो नदी से लगी सुरक्षा दीवारों को क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। खनन क्षेत्र में लगा पुल इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, सेलाकुई से जोड़ता है जिसे खनन से क्षति पहुॅचने की सम्भावना है। खनन कार्य इस प्रकार से किया जाये कि पुल व कृषि भूमि को नुकसान न पहुॅचे। प्रस्तावना में आवंटित बजट बहुत कम है, जिसे और बढ़ाया जाये तथा ग्राम पंचायत को अधिकार दिया जाये कि यदि खनन मानकों के अनुरूप न हो तो पट्टाधारक पर कार्यवाही की जा सके।

2. **श्री जब्बार, (वार्ड सदस्यपति) ग्राम–शीशमबांड़ा, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि खनन क्षेत्र में नदी में विद्युत पोल है, जो कि खनन से गिरने की स्थिति में आ गये हैं। नदी के किनारों पर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाये, जिससे कृषि भूमि को नुकसान नही होगा।

3. **श्री शेर खॉ, ग्राम–शीशमबाड़ा, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि खनन सामग्री मे स्थानीय लोगों को छूट प्रदान की जाये। खनन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाये। प्रस्तावना में उल्लेखित बजट पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़कार कुछ भाग ग्राम सभा को भी दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

4. **नेहा ठाकुर, वार्ड नं.–10, ग्राम–शीशमबाड़ा, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु ग्राम सभा में वाहन लगाये जायें, जिससे ग्राम सभा स्वच्छ बनी रहेगी।

5. **श्री अब्दुल गफ्फार (प्रधानपति) ग्राम–शीशमबाड़ा, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि वृक्षारोपण का कार्य ग्राम सभा द्वारा स्वयं भी किया जाता है तथा पट्टाधारक द्वारा वृक्षारोपण ग्राम सभा की सलाह पर किया जाये। नदी के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाये, जिससे नदी से लगी भूमि की सुरक्षा हो सके, नदी की गहराई अधिक होने से बहाव तेज हुआ है जिसे वैज्ञानिक तरीके से खनन करने से इसे ठीक किया जा सकता है। ग्रामवासियों को खनन सामग्री के क्रय में छूट दी जाये। वर्तमान में नदी की चौड़ाई बहुत कम हो गयी है जो कि खनन योग्य नहीं है। श्री गफ्फार द्वारा यह भी कहा गया कि खनन कार्य शुरू करने से पूर्व ग्राम सभा से विचार विमर्श किया जाये तथा प्रस्तावना में आवंटित बजट बहुत कम है, जिसे बढ़ाये जाने पर विचार किया जाये।

6. **श्री याकूब खान, ग्राम–शीशमबाड़ा, विकासनगर, देहरादून** द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगों की घोड़ा–गाड़ी, भैंसा–बग्गी आदि को नदी से खनन सामग्री निकालने पर छूट दी जाये तथा उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न की जाये। खनन वाहनों के तीव्र गति से चलने से रिहायशी क्षेत्रों में दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है, जिस पर प्रतिबंध लगाया जाये, स्थानीय लोगों को खनन सामग्री के क्रय में छूट दी जाये।

7. **मो0 अहमद ग्राम–शीशमबाड़ा, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि ग्राम पंचायत के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव प्रस्तावना में रखा जाये व खनन वाहनों के परिवहन से सड़क को होने वाली क्षति की मरम्मत की जाये तथा खनन कार्य से जुड़े स्थानीय लोगों को खनन पट्टाधारक द्वारा परेशान न किया जाये। मो0 अहमद द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाये तथा समय–समय पर पट्टाधारक द्वारा ग्राम सभा को सहयोग दिया जाये।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के प्रतिनिधि श्री प्रदीप रावत द्वारा कहा गया कि नदी के किनारों से 10 मीटर छोड़कर नदी के बीच में खनन कार्य किया जायेगा। खनन में निजी भूमि को नहीं लिया गया है। खनन कार्य राजस्व भूमि पर ही किया जायेगा। नदी में 6.00 है. क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा। खनन कार्य दिन के समय किया जायेगा। भूमि को कटाव से बचाने हेतु पॉच साल में कुल 6,000 पौधों से वृक्षारोपण किया जायेगा, वृक्षारोपण ग्राम सभा के सुझाव के अनुसार किया जायेगा। खनन क्षेत्र के आस–पास सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य किया जायेगा, भू–कटाव को कम करने हेतु वैज्ञानिक विधि अपनायी जायेगी, पुल से उचित दूरी छोड़कर खनन कार्य किया जायेगा। श्री रावत द्वारा कहा गया कि निकटवर्ती राजकीय इन्टर कॉलेज, ग्राम शीशमबाड़ा में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान प्रयोगशाला हेतु मद दिया गया है। मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदया की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही के समापन की घोषणा की गयी। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटोग्राफ
2. पैन ड्राइव
3. उपस्थिति पंजिका

(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारीच
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(स्मृता परमार)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
देहरादून

Date

आज दिनांक 20.09.2025 को मैं कैलाश रिवर बेड मिनरल्स एल० एल० पी० द्वारा खसरा नं० 466 ख ग्राम शीशमबाड़ा सौंग नदी पर रेता बजरी पत्थर आदि के खनन हेतु लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण -

क्रम स०	नाम	पदनाम / गांव का नाम	मो० नं०	हस्ताक्षर
1	स्मृता परमार	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून		(signature)
2 -	एस० एस० चौहान	सहायक वैज्ञानिक अधि० उत्तराखंड पर्या० देहरा	9719034547	(signature)
3 -	अ० गफ्फार	प्रधान प्रतिनिधि	9690294880	(signature)
4 -	(signature)	वार्ड मेम्बर	9897330174	(signature)
5	मोहम्मद राशीद	पंचायत सदस्य शीशमबाड़ा	9837818770	(signature)
6 -	प्रमोद सिंह फार्म	किसान मध्यस्थ		(signature)
7 -	Nadeem	शीशमबाड़ा	7996323701	Nadeem
8 -	Armaan	Sheeshambara	7579135917	Armaan
9 -	Farman	Sheeshambara	97200 77686	(signature)
10 -	मतलूब	Sheshbada		म० लूब
11 -	इस्लाम	Sheshbadi	9756727026	(इस्लाम)
12 -	Tosib	शीशमबाड़ा	9897178273	Toshib

Date ....

13	Jogendra Singh	9758501360	[illegible]
14	SUHEL KHAN	9997824158 (शीशमबाड़ा)	[signature]
15	सोनू	9761159161 (शीशमबाड़ा)	[signature]
16	Danish	8923003137 Sheeshambara	
17	Nidu	(Sheeshmbara)	[signature]
18	शहजाद	(शीशमबाड़ा)	शहजाद
19	समीर	7310684452 (शीशमबाड़ा)	[signature]
20	इरशाद	6395948187 (शीशमबाड़ा)	इरशाद
21	गौरव	7668861533 (शीशमबाड़ा)	[signature]
22	Rashid	703711692 (Shishambara)	D.Ra[illegible]
23	Mukhtiyar Ali	9758199817 (Shisambara)	MUK[illegible]
24	Imran	9690202067 (Shimbada)	[illegible]
25	दिलशाद	8923003137 शीशमबाड़ा	दिलशा[illegible]
26	[illegible]	शीशमबाड़ा 8126835285	[signature]
27	राजन	9997685515	[signature]
28	अब्दुल रहमान	8126196148	(रहमान)

Date ....

२५	18977863719	अमर मोहिन	
२९	अहसान	7302585186 (शिशामबाद)	Ahsan
३०	अरिरवाम	8958603816 (खिशनबाद)	अरहम
३१	महेन्द्र	8279304143 (शिशनबाद)	महेन्द्र
32	Saurabh Bajpai	9958827682	Saurabh
33	Akshay Rana	9456695989	Akshay